<u>संख्या-05/2023/ 4314/003-54-2002-002-4-2022</u>

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2023

विषय:- अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के0-80%/रा0-20%-के0/रा0) के मानक मद-42-अन्य व्यय" एवं "89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8930-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम के मानक मद-42-अन्य व्यय" में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक-1074-75/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-58/202/1948/001-54-2002-002-4-2022, दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के0-80%/रा0-20%-के0/रा0) के मानक मद-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित रू0 28166.21 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 3988.64 लाख एवं शासनादेश संख्या-67/2022/3423/002-54-2002-002-4-2022, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 द्वारा लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8930-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम के मानक मद-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित राज्यांश रू0 7041.55 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू0 7041.55 लाख की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में स्थानान्तरित कर उपभोग किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण--89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8930-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम के मानक मद-42-अन्य व्यय" में अनुपूरक मांग के माध्यम से कुल प्राविधानित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्यांश रू0 13341.55 लाख के सापेक्ष अवशेष राज्यांश रू0 2395.87 लाख (रुपये तेईस करोड़ पिच्चानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में स्थानान्तरित कर उपभोग किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022, शासनादेश संख्या-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022, शासनादेश संख्या-24/2022/ बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 14.12.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2022/बी-1-356/दस-2022-15/2003 दिनांक 10.05.2022 एवं शासनादेश संख्या-12/2022/बी-1-357/दस-2022-15/2003 दिनांक 10.05.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,95,87,000 (रुपये तेईस करोड़ पंचानबे लाख सतासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021028930 नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4- 384-X-2022-23, दिनांक- 09 जनवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

संयुक्त सचिव।

संख्या-05 /2023/ 4314(1)/003-54-2002-002-4-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।